By:- Sujata Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

B.A. History
Deg - III
Paper - VIII - 8

महिला सशक्तिकरण पर एक नोट :-
(Write a note of women's Empowerment.

महिला सशक्तीकरण और राजनीति का संबंध
(Relations between Politics and women's Empowerment)

शिक्षा व्यक्ति के सशक्तीकरण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपकरण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए, "यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि "वह औरतों की शक्ति क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वह अपने जीवनस्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित करसकें अर्थात् यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे अपितु साथ-ही-साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता भी प्रदान करे।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति की विवेचना करने के लिए 1971 ई० में एक समिति गठित की गयी थी। "टुवार्ड्स इक्वलिटी" शीर्षक से 1974 ई० में प्रकाशित इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र का है। इस संबंध में उपरोक्त समिति का सुझाव यह था कि इसका उपाय यही है कि हर राजनैतिक दल महिला उम्मीदवारों का एक कोटा निर्धारित करे और जब ऐसा नहीं किया जा सकता तब तक नगरपरिषदों और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान संशोधन किया जाये।

Date / Page

<u>पंचायतों में महिला आरक्षण</u> :- सन 1993 में 73 वें और 74 वें संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनको सहभागिता में वृद्धि की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। बिहार तथा राजस्थान ने इस आरक्षण को बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत कर दिया है। पंचायतीराज संस्थाये जो निचले स्तर का लोकतांत्रिक ढाँचा निर्मित करती है, में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण संरचना को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में बढ़ाया। महिलाओं की पंचायत के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता एक ओर लोकतंत्र, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा समानता के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करती है तथा दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है।

राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से उठाने वाले राजनीतिक दल स्वयं 'जीते जा सकने वाले' संसदीय क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाते है। आज भी अधिकांश राजनीतिक दलों में महिला सहभागिता का प्रतीकात्मक महत्व ही अधिक है। सम्भवत: यही कारण है कि संसद व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी बिल अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो महिलाओं में न केवल आत्मविश्वास जागृत करती है। बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने एवं अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति भी पैदा करती है।